

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2607  
उत्तर देने की तारीख 17.03.2025

कर्नाटक के विभिन्न नृत्य रूपों का संरक्षण और संवर्धन

2607. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा तटीय कर्नाटक के पारंपरिक बाघ नृत्य, अती कलंजा लोक नृत्य और भूत कोला लोक नृत्य, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है, को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास इन प्राचीन नृत्य शैलियों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में पारंपरिक बाघ नृत्य, अती कलंजा लोक नृत्य और भूत कोला लोक नृत्य दलों, कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं के लिए कोई वित्तीय सहायता योजनाएं या सहायता कार्यक्रम हैं; और
- (ग) सरकार किस तरह से यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि पारंपरिक बाघ नृत्य, अती कलंजा लोक नृत्य और भूत कोला लोक नृत्य को अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और इन नृत्य शैलियों को प्रदर्शित करने के लिए कौन से मंच या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री  
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क) से (ग): भारत सरकार ने दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एसजेडसीसी), तंजावुर और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एससीजेडसीसी), नागपुर की स्थापना कर्नाटक राज्य सहित इनके सदस्य राज्यों के पारंपरिक कला रूपों के साथ-साथ लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए की गई है। ये जेडसीसी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके लिए वे कर्नाटक राज्य सहित अपने सदस्य राज्यों से कई कलाकारों और प्रस्तुतिकर्ताओं को शामिल करते हैं जो पारंपरिक लोक नृत्यों में विशेषज्ञताप्राप्त होते हैं। इन कलाकारों को मानदेय, दैनिक

भृत्या/यात्रा भृत्या, भोजन और आवास तथा स्थानीय परिवहन का भुगतान किया जाता है, जिससे वे अपने जीविकोपार्जन में समर्थ हो पाते हैं।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय देश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (नेशनल कल्चरल फेस्टिवल) आयोजित करता है, जहां कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश के पारंपरिक लोक कलाकारों को राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न नृत्य रूपों का प्रदर्शन करने के लिए शामिल किया जाता है।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और वैशिक क्षेत्र में अनुकूल रूप से भारत की छवि को संवर्धित करने के लिए "वैशिक भागीदारी स्कीम" नामक स्कीम कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय कला रूपों में अभ्यासरत कलाकारों को 'भारत महोत्सव' के बैनर के तहत विदेशों में प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक रंगमंच और कठपुतलीकला, शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य, प्रयोगात्मक/समकालीन नृत्य, शास्त्रीय/अर्धशास्त्रीय संगीत, रंगमंच आदि जैसे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों के कलाकार विदेशों में 'भारत महोत्सव' में प्रस्तुतीकरण देते हैं। विदेश में प्रस्तुतियां देने के लिए इन कलाकारों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाला संपूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न कला रूपों के तहत पूरे भारत के 627 कलाकारों/समूहों को पैनलबद्ध किया है और विदेश में आयोजित भारत महोत्सवों में प्रस्तुति देने हेतु शामिल करने के लिए इस पैनलबद्ध सूची में से कलाकारों का चयन किया जाता है।

\*\*\*\*\*